आयुष्मान भारत "निरामयम्"

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, मध्यप्रदेश

आई.ई.सी ब्यूरो, प्रथम एवं द्वितीय तल, जे.पी. अस्पताल परिसर, भोपाल म.प्र.
www.ayushmanbharat.mp.gov.in | दूरभाष-0755-2763386

क्रमांक/एसएचए/एबी/2024/4261 **भोपाल, दिनांक 20/12/2024**

प्रति,

आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजनान्तर्गत सम्बद्ध
समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय म.प्र.

विषय : राज्य में TMS 2.0 दिनांक 20/12/2024 से प्रारम्भ करने संबंधित निर्देश।

---00---

विषयान्तर्गत लेख है कि आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजनान्तर्गत राज्य में वर्तमान में TMS 1.0 का उपयोग किया जा रहा था जिसमें पोर्टल धीमे चलने एवं अपडेटेड स्टेटस नहीं दिखने के संबंध में अस्पतालों द्वारा समय-समय पर पत्र एवं ईमेल के माध्यम से पोर्टल में सुधार हेतु लेख किया जाता था; उपरोक्त के संदर्भ में आयुष्मान कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को TMS 1.0 पोर्टल में आवश्यक सुधार करने हेतु अनुरोध किया गया था, दिनांक 10/12/2024 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण से प्राप्त पत्र द्वारा राज्य में TMS 1.0 पोर्टल के अपडेटेड वर्जन TMS 2.0 को प्रारंभ किये जाने हेतु आवश्यक चैकलिस्ट, प्रशिक्षण एवं यूजर आईडी बनाए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

आयुष्मान कार्यालय द्वारा TMS 2.0 पोर्टल का प्रशिक्षण विगत 15 दिवस से बैच वार दिया जा रहा था उक्त प्रशिक्षण में समस्त चिकित्सालायों को UMP पोर्टल के माध्यम से यूजर आईडी बनाए जाने हेतु भी प्रशिक्षण एवं निर्देशित किया गया था। प्रशिक्षण के दौरान TMS 2.0 पोर्टल को दिनांक 20/12/2024 की रात्रि से प्रारंभ किये जाने की जानकारी भी आपको दी गयी थी। वर्तमान में अधिकतर अस्पतालों द्वारा UMP पोर्टल के माध्यम से TMS 2.0 पोर्टल हेतु एडमिन आईडी, MEDCO आईडी एवं Medical superintendent आईडी बनायी जा चुकी है परन्तु कुछ अस्पतालों द्वारा यूजर आईडी बनाया जाना शेष है।

आयुष्मान भारत योजना के तहत TMS 2.0 पोर्टल के माध्यम से योजनान्तर्गत हितग्राहियों का पंजीकरण करने के लिए आपको निर्देशित किया जाता है कि UMP पोर्टल के माध्यम से आवश्यक यूजर आईडी बनाया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं रात्रि 10 बजे से पूर्व TMS1.0 पोर्टल पर आवश्यक कार्य(एडमिशन, डिस्चार्ज इत्यादि) कर लिए जावें। आज दिनांक 20/12/2024 रात्रि 10 बजे के उपरान्त TMS1.0 पोर्टल पर राज्य के हितग्राहियों का नवीन पजीकरण नहीं किया जा सकेगा एवं दिनांक 21/12/2024 मध्यरात्रि 1 बजे के उपरान्त समस्त नवीन पंजीकरण TMS 2.0 पोर्टल के माध्यम से किये जा सकेंगे। TMS1.0 पोर्टल पर दर्ज प्रकरण पर समस्त कार्यवाही एवं केवल राज्य के बाहर के हितग्राहियों का नवीन पंजीकरण TMS1.0 पोर्टल से ही की जावेगी।

उपरोक्तानुसार निर्देशित किया जाता है TMS 2.0 पोर्टल के सफल क्रियान्वयन हेतु समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(डॉ. योगेश भरसट)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत 'निरामयम' म.प्र.

पृ. क्रमांक/ एसएचए/एबी/2024/1262　　　　भोपाल, दिनांक 20/12/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा म.प्र. शासन।
2. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा म.प्र.।
3. कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत 'निरामयम' म.प्र.।
4. महाप्रबंधक(विधि/ऑपरेशन), आयुष्मान भारत 'निरामयम' म.प्र.।
5. समस्त संभाग प्रभारी, आयुष्मान भारत 'निरामयम' म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिला म.प्र.।
7. जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक(DeGM), समस्त जिला म.प्र.।
8. स्टेट हेड BFA समस्त जिला समन्वयकों एवं टीपीए क्लस्टर 1/ 2 आयुष्मान सहायकों को को निर्देशित किया जाता है कि जिलास्तर पर TMS2.0 पोर्टल के सफल क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत 'निरामयम' म.प्र.